न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2018	2018/00011	17.01.2018	24.05.2022

1. कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री मांगेलाल, जाति माली, निवासी काला कुआँ, अलवर (राज0)।
2. अनिता सिंह पुत्री स्व0 श्री मांगेलाल, पत्नी सुभाष, जाति माली, निवासी बार्ड न0 13, आदर्श कॉलोनी, श्रीमाधोपुर सीकर राज0।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार भू0 अ0 राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. हुकमचन्द पुत्र स्व0 रामचन्द, निवासी स्टेशन के पास, बसवा रोड कारोठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. लाली पुत्री स्व0 रामचन्द पत्नी श्री बाबूलाल सैनी, निवासी ग्राम पंचायत भंडारा, जिंद का वास, बांदीकुई ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 07.03.2013 नामान्तकरण संख्या 1036 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ।

उपस्थितः–

01. श्री मुनिराज चौहान – वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री अजीत कुमार यादव – वकील रेस्पोडेन्ट्स 02
03. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट सं0 01

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 07.03.2013 नामान्तकरण संख्या 1036 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की तलबी जरिये अखबार राजस्थान टाइम्स एवं दैनिक भास्कर से कराई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अनुपस्थित रही। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अपील पर बहस के दौरान अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश

24/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

दिनांक 07.03.2013 का है। आराजी का खाता संख्या 395 खसरा न0 1606 वगैहरा कुल रकबा 0.82 है0 खाता संख्या 397 खसरा न0 1568 वगै0 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ में स्थित है। जिस आराजी खाता संख्या 395 में रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 397 में रामचन्द्र का 1/5 हिस्सा है। जिस आराजीयात के बावत् खातेदार रामचन्द्र के फौत हाने पर विरासत इंतकाल संख्या 1036 तहसीलदार (भू0अ0) राजगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 07.03.2013 को मंजूर व स्वीकृत किया गया। जिस विरासत इंतकाल की जानकारी पूर्व में कभी हम अपीलार्थीगण को नहीं रही। दिनांक 08.01.2018 को अन्य हिस्सेदारान द्वारा अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजहमत करने पर उनके द्वारा बताया गया की उन्होंने हम अपीलार्थीगण के पति व पिता को उक्त आराजी बाबत् बाला–बाला लाऔलाद फौत व बिला औरत दर्ज कराकर विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिसपर उक्त विरासत इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 09.01.2018 को नकल प्राप्त की। हम अपीलार्थीगण को नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया की वादग्रस्त आराजी बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तस्दीक किए गए इंतकाल संख्या 1036 में हम अपीलार्थीगण के पति व पिता को गलत प्रकार से लाऔलाद फौत व बिला औरत दर्शित किया गया है और हम अपीलार्थीगण को हमे मिलने वाले हक व हिस्से से महरूम किया हुआ है। जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न उजरात के साथ पेश है।

उक्त विवादित आदेश दिनांक 07.03.2013 का है। जिस विवादित आदेश की जानकारी दिनांक 08.01.2018 को अन्य हिस्सेदारान द्वारा अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजहमत करने पर व उनके द्वारा कहने पर की उन्होंने हम अपीलार्थीगण के पति व पिता को उक्त आराजी बाबत् बाला–बाला ला औलाद फौत व बिला औरत दर्ज कराकर विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिसपर उक्त विरासत इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 09.01.2018 को नकल प्राप्त की जिससे यह अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी जो समय जानकारी के अभाव व नकल लेने में व्यतीत हुआ है वह काबिले कंडोन है। जिस हेतु पृथक से दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के तहत प्रा0प0 पेश है। अपीलार्थीगण मृतक मांगेलाल के पत्नी व पुत्री है जिससे वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामचन्द्र के फौत हो जाने पर 1/4 हिस्सा हम अपीलार्थीगण के पति व पिता मांगेलाल को प्राप्त होता है जिस पर हम अपीलार्थीगण काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। श्रीमती छोटा देवी का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन हम अपीलार्थीगण के पति व पिता मांगेलाल को लाऔलाद फौत बिला औरत दर्ज कर सहकाश्तकारान श्रीमती विद्या देवी, श्री हुकमचन्द व लाली द्वारा हडपने का प्रयास किया है। जिससे विवादित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा मृतक रामचन्द्र के विरासत के इंतकाल को तस्दीक कराते समय अपीलार्थीगण को जीवित होने के तथ्यों का छिपाया है जिससे उक्त आदेश काबिले अपास्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व मौके की किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट तलब नहीं की गई एवं विवादित इंतकाल एक पक्षीय रूप से तस्दीक किया गया। जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत अदालत का विवादित आदेश एक पक्षीय प्राकृतिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण विवादित इंतकाल संख्या 1036 तहसीलदार भू0अ0 राजगढ जिला अलवर दिनांक 07.03.2013 को अपास्त फरमावें ।

24/05/2022

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किये गये। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर वकील अपीलान्ट को सुना गया। इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उक्त दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किए जाते हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में अनिता पुत्री मांगीलाल आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं की अंकतालिका एवं राशन कार्ड की प्रति में अनिता पुत्री मांगीलाल दर्ज है, के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं एवं इसी प्रकार कान्ता बाई पत्नी मांगीलाल के द्वारा टेलीफोन विभाग अलवर के मीमो न0 ई–17/89 दिनांक 27.11.1995 एवं चीफ जनरल मैनेजर टेलीफोन विभाग जयपुर के पत्रांक 1714 दिनांक 03.08.1994 एवं न्यायालय जिला न्यायाधीश अलवर के निर्णय दिनांक 11.04.1997 की प्रति पेश की गई है जो संलग्न पत्रावली है। उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 07.03.2013 को विरासत नामान्तकरण संख्या 1036 स्वीकार करते समय मृतक रामचन्द्र के वारिसान की जांच मौके पर नहीं किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि मृतक रामचन्द्र के पुत्र मृतक मांगेलाल के वारिसान, अपीलान्ट्स को लाऔलाद बिला औरत दर्शाया गया है। जबकि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मृतक मांगेलाल के वारिसान में कान्ता पत्नी एवं अनिता पुत्री होना पाया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2013 नामान्तकरण संख्या 1036 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्स के दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच कर एवं वारिसानों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

वंदना खोरवाल 24.05.2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)